(52)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4560–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–7–13 पारित द्वारा अपर तहसीलदार, तहसील इन्दौर प्रकरण कमांक 81/अ–6/12–13.

1– श्रीमती मनोरमाबाई पति जीवननाथ
निवासी ग्राम 10/44,
स्टेशन रोड, राऊ जिला इन्दौर

2– श्रीमती संगीता पाटीदार पति योगेन्द्र पाटीदार
निवासी ग्राम कोदरिया
तहसील महू जिला इन्दौर

3– श्रीमती किरण पुरोहित पति शैलेष पुरोहित
निवासी 41/10, मेनरोड, स्टेशन रोड
राऊ जिला इन्दौर .....आवेदकगण (आपत्तिकर्तागण)

विरूद्ध

1– अनिल कुमार पिता अजय कुमार आर्य
निवासी बडा बाजार, राऊ, इन्दौर
हाल मुकाम 7/17, ए.बी. रोड
राऊ जिला इन्दौर

2– जीवननाथ पिता सिद्धनाथ मुकाती
निवासी 10/44, स्टेशन रोड, राऊ
तहसील व जिला इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री आर.के. शुक्ला अभिभाषक, आवेदकगण
श्री तुषार दुबे, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार, तहसील इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–7–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर तहसीलदार, तहसील इन्दौर के समक्ष अनावेदक कमांक 1 अनिल कुमार द्वारा ग्राम राऊ तहसील व जिला इन्दौर स्थित

भूमि सर्वे कमांक 701/1 रकबा 1.38 एकड़ पर अनावेदक कमांक 2 जीवननाथ के स्थान पर उसका नाम दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 81/अ–6/12–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक कमांक 1 लगायत 3 (आपत्तिकर्तागण) द्वार व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 सहपठित आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–7–13 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक कमांक 1 लगायत 3 (आपत्तिकर्तागण) के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक सम्पत्ति है, जिसे उनके पूर्वजों द्वारा अर्जित की गई है, और वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदिका कमांक 1 के पति जीवननाथ का नाम दर्ज है, परन्तु कब्जा आवेदिका कमांक 2 संगीता एवं किरण का है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर हक अकेले जीवननाथ का ही नहीं होकर मृतक भूमिस्वामी की पत्नी का भी है । इस आधार पर कहा गया कि वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा पक्षकार नहीं बनाये जाने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया गया

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखों में एकमात्र भूमिस्वामी जीवननाथ है, इसलिए आवेदक कमांक 1 लगायत 3 प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाने का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित कराये गये हैं, और जिसके आधार पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा नामांतरण चाहा गया है । तहसील न्यायालय का उपरोक्त निष्कर्ष उचित नहीं माना जा सकता है,

क्योंकि आवेदिका कमांक 1 मूल भूमिस्वामी जीवननाथ की पत्नी है तथा आवेदिका कमांक 2 एवं 3 उसकी पुत्रियां हैं, और मूल भूमिस्वामी के वारिसान होने के कारण उन्हें सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, अतः न्यायहित में उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाने में अवैधानिकता की गई है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार, तहसील इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–7–13 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अपर तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदकगण को पक्षकार बनाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर